संख्या-28/2018/3155/22-2-2017-17(754)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महावीर पुत्र श्री मौजी यादव निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43076/प्रोबेशन-3(एम-04.12.2017) दिनांक 04.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महावीर पुत्र श्री मौजी यादव, जो दिउरा, थाना-जलालाबाद, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने कुछ समय पूर्व हुई घटना की रंजिश में दिनांक 21.10.2000 को समय लगभग 11:00 बजे दिन में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व रायफल से जगदीश व जगतपाल एवं संयोगिता नामक लड़की सहित कुल 03 लोगों की हत्या कर दी एवं लटूरी व धनदेवी नामक महिलाओं को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-376/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-4), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 24.02.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.11.2017 तक 17 वर्ष 00 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त दोषमुक्त 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त फरार है, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी ने पूर्व में हुई घटना की रंजिश में दिनांक 21.10.2000 को 05 सहअभियुक्तों के साथ बन्दूक व रायफल से जगदीश व जगतपाल एवं संयोगिता नामक लडकी की हत्या करने एवं लटूरी व धनदेवी नामक महिलाओं को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महावीर पुत्र श्री मौजी यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित क्रि0मि0 अपील सं0-6740/2017 महावीर व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2017 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी महावीर (बन्दी संख्या-39140) पुत्र श्री मौजी यादव निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-28/2018/3155(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-28/2018/3155/22-2-2017-17(754)/2017

दिनांक 11 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महावीर पुत्र श्री मौजी यादव, जो दिउरा, थाना-जलालाबाद, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने कुछ समय पूर्व हुई घटना की रंजिश में दिनांक 21.10.2000 को समय लगभग 11:00 बजे दिन में 05 सहअभियुक्तों के साथ बन्दूक व रायफल से जगदीश व जगतपाल एवं संयोगिता नामक लडकी सहित कुल 03 लोगों की हत्या कर दी एवं लटूरी व धनदेवी नामक महिलाओं को घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-376/2001 में भा0द0वि0 की धारा- 302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-4), शाहजहांपुर के आदेश दिनांक 24.02.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.11.2017 तक 17 वर्ष 00 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 07 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त दोषमुक्त 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 01 सहअभियुक्त फरार है, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी ने पूर्व में हुई घटना की रंजिश में दिनांक 21.10.2000 को 05 सहअभियुक्तों के साथ बन्दूक व रायफल से जगदीश व जगतपाल एवं संयोगिता नामक लडकी की हत्या करने एवं लटूरी व धनदेवी नामक महिलाओं को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी महावीर पुत्र श्री मौजी यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in